

(-13 - 33647)

ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण
प्लॉट नं0 01, सेक्टर नॉलेज पार्क-4, ग्रेटर नौएडा

पत्रांक : ग्रेनो/बिल्डर्स/2018/ 155
दिनांक : 01 जून, 2018

कार्यालय आदेश

प्राधिकरण की 105वीं बोर्ड बैठक दिनांक 09.05.2016 के अनुपूरक मद संख्या 105/3 में अनुमोदित प्रस्ताव के क्रम में जारी कार्यालय आदेश दिनांक 24.06.2016 में पार्ट कम्प्लीशन के प्रकरणों में फेजवाइज एकमुश्त लीजरेंट लिये जाने के सम्बन्ध में निम्नलिखित नियम प्रतिपादित हैं:-

“जिन बिल्डर्स भूखण्डों की लीजडीड में प्राविधान है कि फेजवाइज कम्प्लीशन प्राप्त करने पर फेजवाइज एकमुश्त लीजरेंट (कुल कीमत का 11 प्रतिशत) का भुगतान करना होगा, ऐसे आवंटियों को त्रिपक्षीय सबलीजडी प्रारम्भ करने से पूर्व कम्प्लीशन प्राप्त फेज का एकमुश्त लीजरेंट जमा कराना होगा। अवशेष एरिया का वार्षिक लीजरेंट तब तक जमा कराया जाता रहेगा, जब तक परियोजना का पूर्ण कम्प्लीशन प्राप्त होगा।”

उपरोक्तानुसार की व्यवस्था के वावजूद भी कुछ आवंटी ऐसे हैं, जिनके द्वारा पार्ट कम्प्लीशन प्राप्त कर लिया गया है, परन्तु कम्प्लीशन प्राप्त फेज का एकमुश्त लीजरेंट जमा कराने में असमर्थता व्यक्त कर रहे हैं, जिसके कारण फ्लैट बायर्स के पक्ष में पार्ट कम्प्लीशन प्राप्त यूनिट्स की त्रिपक्षीय सबलीजडीड निष्पादित कराने में विलम्ब हो रहा है।

अतः उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों के दृष्टिगत मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के आदेश दिनांक 15.05.2018 के क्रम में फेजवाइज कम्प्लीशन प्राप्त एरिया के एकमुश्त लीजरेंट को नियमानुसार ब्याज सहित चार समान मासिक किश्तों में जमा कराने की नीति इस शर्त के साथ निर्धारित की जाती है कि बिल्डर को अपनी परियोजना के उस फेज की यूनिट्स/फ्लैट्स की त्रिपक्षीय सब लीजडीड निम्नानुसार अनुपातिक रूप से निष्पादित करानी होंगी:-

1. प्रथम किश्त की धनराशि जमा होने पर 20% यूनिट्स/फ्लैट्स
2. द्वितीय किश्त की धनराशि जमा होने पर 20% यूनिट्स/फ्लैट्स
3. तृतीय किश्त की धनराशि जमा होने पर 25% यूनिट्स/फ्लैट्स
4. चतुर्थ किश्त की धनराशि जमा होने पर 35% यूनिट्स/फ्लैट्स

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(बाल कृष्ण त्रिपाठी)
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रतिलिपि:-

1. स्टाफ ऑफीसर को मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (जी) को अवलोकनार्थ।
3. महाप्रबन्धक (वित्त) को सूचनार्थ प्रेषित।
4. नगर नियोजक/उप महाप्रबन्धक (नियोजन) को सूचनार्थ।
5. वरिष्ठ कार्यपालक/प्रबन्धक (बिल्डर्स) को अनुपालनार्थ प्रेषित।
6. प्रबन्धक (सिस्टम) को प्राधिकरण की वेबसाइट पर अपलोड करने के सम्बन्ध में।


अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी